

अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

K.T.S Case No.- 57 of 2022-23

Charan Ho

V/s

Ganesh Biruly and Others

आदेश

यह वाद दिनांक- 08.08.2022 को वादी चरण हो (सुण्डी), पिता- मिका हो, निवासी ग्राम- कृष्णपुर, पो०- केरा, थाना- चक्रधरपुर, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के द्वारा दायर वाद पत्र के Schedule "A" में वर्णित भूमि का Declaration of right, title interest के लिए प्रतिवादी गणेश बिरुली, पिता- स्व० लोदरो बिरुली, निवासी ग्राम- कृष्णपुर, पो०- केरा, थाना- चक्रधरपुर, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध कोल्हान दिवानी वाद दाखिल किया गया है। इस वाद में वादी के द्वारा दिनांक- 24.05.2023 को एक आवेदन दाखिल कर सूचित किया गया है कि यह वाद सिविल न्यायालय में दायर करना था, गलती से अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दायर हो गया है। उनके द्वारा दायर वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

अतः वादी के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक- 24.05.2023 के आलोक में इस वाद को खारिज (Dismiss for Default) किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

असंतुष्ट पक्ष के द्वारा अपर न्यायालय में अपील दाखिल किया जा सकता है।

लेखापित एवं संशोधित।


अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।


अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।